न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—16 / 2024 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—जैन भवन पीलीबंगा जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सोहित टेलिकॉम
श्री नवीन कुमार पुत्र श्री प्रेमनाथ (मालिक) पता—वार्ड नं. 07, नए बस स्टेण्ड के पास सूरतगढ़ रोड़ पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——ऋणी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश दिनांकः—31.07.2024

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—पीलीबंगा जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री राम कुमार व अप्रार्थी की ओर से श्री हनीश पाल ग्रोवर वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स सोहित टेलीकॉम मालिक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री प्रेम नाथ को दिनांक 13.07.2020 को 10,00,000/— (अखरे दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इस हेतु ऋणी/जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 13.07.2020 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति करार के अन्तर्गत प्रतिभूमि आस्ति से रक्षित है—मैसर्स सोहित टेलीकॉम श्री नवीन कुमार पुत्र श्री प्रेम नाथ (मालिक) वार्ड नं. 07 नए बस स्टेण्ड के पास सूरतगढ़ रोड़ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसंपत्ति पर प्रतिभूमि हित से सम्यक/दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है।

ऋणी द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा—निर्देशानुसार दिनांक 01.05.2023 को गैर—निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 19.07.2023 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 12,61,564/—(रूपये बारह लाख ईकसठ हजार पांच सौ चौंसठ रूपये मात्र) दिनांक 07.07.2023 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है और न ही गिरवीकृत चल व अचल सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा चल व अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा–पीलीबंगा जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को मुद्रा लोन के तहत ऋण सुविधा प्रदान की है जिसमें अचल सम्पति बंधक रखने का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक द्वारा ऋणी की गिरवीकृत चल व अचल संपत्ति ''मैसर्स सोहित टेलीकॉम श्री नवीन कुमार पुत्र श्री प्रेम नाथ (मालिक) वार्ड नं. 07 नए बस स्टेण्ड के पास, सूरतगढ़ रोड़ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड अनुसार'' का कब्जा लेने बाबत निवेदन किया है जबकि प्रार्थी बैंक द्वारा न तो सम्बन्धित हाईपोथिकेशन स्टॉक सूची की नवीनत्तम स्थिति पेश की है और न ही अचल संपत्ति जिसका कब्जा लिया जाना है, सम्बन्धि कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अभाव में प्रार्थी बैंक स्टॉक व अचल संपत्ति का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़